

APPENDIX-I
[Rule 3(1)]

Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31st March, 20.....*
(Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.)

1. Name of the Public servant in full.....
(in block letters)

- 2.(a) Present public position held
(Designation, name and address
of organisation)

- (b) Service to which belongs
(if applicable)

Declaration:

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Date.....

Signature.....

* In case of first appointment please indicate date of appointment.

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/ liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44 (2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

(Section 44(2):A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to—

- (a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;
- (b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.)

Note 2. If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.

Note 3:—"dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. (*Explanation below Section 44(3) of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013*)

APPENDIX-II
[Rule 3(1)]

FORM No. I

Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children

SL No.		Name	Public Position held, if any	Whether return being filed by him/her, separately
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

* Add more rows, if necessary.

Date.....

Signature.....

"FORM No. II

Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...

(Use separate sheets for self, spouse and each dependent child.)

of public servant/spouse/dependent child: _____

No	Description	Remarks, if any
*	Cash and bank balance:	
(i) **	Insurance (premia paid) : Fixed /Recurring Deposit(s) : Shares/Bonds : Mutual Fund(s) : Pension Scheme/Provident Fund Other investments, if any :	
(iii)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding two months basic pay or Rupees one lakh, as the case may be):	
(iv)	Motor Vehicles (Details of Make, registration number, year of purchase and amount paid):	
(v)	Jewellery [Give details of approximate weight (plus or minus 10 gms. in respect of gold and precious stones; plus or minus 100 gms. in respect of silver).] Gold: Silver: Precious metals and precious stones: Composite items: (indicate approximate value) ***	
(vi)	Any other assets [Give details of movable assets not covered in (i) to (v) above] (a) Furniture (b) Fixtures (c) Antiques (d) Paintings (e) Electronic equipments (f) Others [Indicate the details of an asset, only if the total current value of any particular asset in any particular category (e.g. furniture, fixtures, electronic equipments, etc.) exceeds two months' basic pay or Rs. 1.00 lakh, as the case may be.]	

Date

Signature.....

* Details of deposits in the foreign Bank(s) to be given separately.

** Investments above Rs. 2 lakhs to be reported individually. Investments below Rs.2 lakhs may be reported together.

*** Value indicated in the first return need not be revised in subsequent returns as long as no new composite item had been acquired or no existing items had been disposed of, during the relevant year.";

FORM NO. III

Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March, 20....
 (e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.)

[Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children]

Sl. No.	Description of property (Land/ House/ Flat/ Shop/ Industrial etc.)	Precise location (Name of District, Division, Tahuk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.)	Area of land (in case of land and buildings)	Nature of land in case of landed property	Extent of interest	If not in name of servant, state in whose name held and his/her relationship, if any to the public servant	Date of acquisition	Present value of the property (If exact value not known, approx value may be indicated)	Total annual income from the property	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Date.....
										Signature.....

Note (1)For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

"FORM No. IV

Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March,
20.....

Sl. No.	Debtor (Self/ Spouse or dependent children)	Name and address of Creditor	Nature of debt/ liability and amount	Remarks
1	2	3	4	5

Date

Signature.....

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2. The statement should include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) taken from banks, companies, financial institutions, Central/State Government and from individuals.”.

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.... को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
.....
2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति
(पदनाम, नाम और संगठन का पता)
(ख) किस सेवा से संबंधित है (यदि लागू है)

घोषणा —

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन, मेरे द्वारा, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररूप 1 से प्ररूप 4 मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें।

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी। विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 (2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत व्यौरे सम्मिलित होंगे।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को ——

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथक्तः स्वामी या फायदाग्राही हैं;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा ।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो “कर्ता” या किसी सदस्य के रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररूप सं 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो।

टिप्पण 3. “आश्रित बालक” से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोकसेवक पर आश्रित हैं। (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण

परिशिष्ट - 2
(नियम 3 (1)देखिए)

प्ररूप संख्या 1

लोकसेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों के ब्यौरे

क्रम संख्या	नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो	क्या विवरणी, उसके द्वारा पृथक रूप से फाइल की जाती है।
1	स्वयं		
2	पति या पत्नी		
3	आश्रित - 1		
4	आश्रित - 2		
5*	आश्रित - 3		

*और पंक्ति जोड़े, यदि आवश्यक हैं

तारीख

हस्ताक्षर.....

"प्रृष्ठ सं0 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण
(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)

क्रम सं0	विवरण	टिप्पणियां, यदि कोई हों
(i)*	नकदी और बैंक में अतिशेष :	
(ii)**	बीमा (संदर्भ प्रीमियम) :	
	नियत/आवर्ती जमा :	
	शेयर/बॉड :	
	पारस्परिक निधि (निधियां) :	
	पेंशन स्कीम/भविष्य निधि	
	अन्य विनिधान, यदि कोई हों :	
(iii)	किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपए से अधिक) :	
(iv)	मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदर्भ रकम के ब्यौरे) :	
(v)	आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम)]	
	सोना :	
	चांदी :	
	बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न :	
	मिश्रित मर्दे :	
	(अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)***	
(vi)	कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे हैं] (क) फर्नीचर (ख) फिक्सचर (ग) प्राचीन वस्तुएं (घ) रंगचित्र (पैटिंग) (ड) इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर (च) अन्य	

	(किसी प्रवर्ग की बाबत व्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हो)	
--	--	--

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

*विदेशी बैंक (बैंको) में जमाओं के व्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे।

**2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे। 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है।

***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनराद्धित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो।";

प्र० ३

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथावत संपति का विवरण

(लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

क्रम संख्या	संपति का वर्णन (भूमि/गृह/ फ्लैट/टुकान/औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, तालुक और उस ग्राम का नाम जिसमें अवस्थित है और इसकी सुधिन संख्या आदि	भूमि का क्षेत्र (भूमि और भवनों के समलैंग)	भूमि संपति के मामले में विस्तार का यदि सेवक की	विस्तार का यदि सेवक की	अर्जन लोक के तारीख नाम नहीं है	अर्जन लोक के तारीख नाम नहीं है	संपति का वर्तमान मूल्य (यदि लीक दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/ व्यक्तियों के द्वारा सहित नाम जिससे अर्जित की गई है (एता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचे ठिप्पण 1 देखें और अर्जन की लागत	संपति का वर्तमान मूल्य (यदि लीक दान या अन्यथा द्वारा है) मूल्य ज्ञात न हो तो तारग मूल्य	संपति का कुल वार्षिक आय	संपति का संपति से दिएगिया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

ठिप्पण – 1. संघ 9 के प्रयोजन के लिए, पट्टा “पट्टा” से वर्ष दर वर्ष से किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराए के लिए आरक्षित अवधि का पट्टा अधिकरण द्वारा तथापि जहाँ स्थावर संपति का पट्टा दिसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्य होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ आसक्ति संबंध है, ऐसे पट्टे की अवधि को चाहे यह अतिकालीक हो या दीर्घकालिक हो और किराए के संदर्भ की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए।

"प्रृष्ठ सं0 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का
विवरण

क्रम सं0	ऋणी (स्वयं/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	लेनदार का नाम और पता	ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : उधारों की व्यष्टिक मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं है (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये है, सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंकों, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसो) को सम्मिलित करना होगा ।